दिल्ली विश्वविद्यालय की संशोधित् सहनशील (एचटी) सरसों नियामक प्रक्रिया में गुंभीर आपतिजनक त्रुटियाँ

'जीएम-मुक्त भारत के लिए गठबंधन'

वेब साईट: www.indiagminfo.org

ईमेल: indiagmfree@gmail.com


उच्चतम न्यायालय की सुनवाई से...

TOP STORIES

"क्या जीएम सरसों को अब जारी करने का कोई बाध्यकारी कारण है?" उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से विशेषज्ञ कमेटी की राय को दरकिनार करने का कारण पूछा

Awstika Das

ka Das 1 Dec 2022 7:10 PM



Earlier, Advocate Prashant Bhushan and Senior Advocate Sanjay Parikh, appearing on behalf of the petitioners, had drawn the attention of the court to the reports of several committees, including a technical expert committee constituted pursuant to an order of the apex court, which in 2013 had categorically stated that it would be inadvisable to conduct more open field trials before, *inter alia*, addressing the gaps in the regulatory system and enhancing the understanding of the long-term impacts of introducing genetically modified crops on human and animal health and the ecology. Although in the interim report, this panel had suggested a moratorium of ten months on field trials of Bt transgenics, in its final report, an indefinite and complete ban on herbicide-tolerant crops was recommended. The Attorney-General took great exception to the report of this technical expert committee and the heavy reliance placed on it by the petitioners. He said, "The sum and substance of this report is that it is an ideological report. A scientist can also take an ideological stand. And now, on the basis of this report, this court is invited to make a value judgement." The apex court, the Attorney-General strenuously argued, was not permitted to venture beyond the limited question of whether the process envisioned under the law has been followed by the competent authorities. "The Court cannot go into the question of which science is good and which science is bad. Unless you find deficiencies in those processes and procedures, it would not be possible for the court to intervene only on the basis of this report," Venkataramani insisted.

"लम्बे समय से जीएम वाली खाद्य फसलों को अनुमति देने का मुद्दा जाने माने संस्थानों के विशेषज्ञों के विचाराधीन रहा है एवं इस का साल दर साल गहन अध्ययन किया गया है ..." भारत के अटार्नी जनग्ल


SUBSCRIPTION STARTS FROM ₹899* FOR 6 MONTHS

^

अदालत को केवल आर वेकटरमनी

स्रोत: "Is There A Compelling Reason To Release GM Mustard Now?": Supreme Court Asks Centre (livelaw.in)

भारत के अटॉर्नी जनरल अदालत की सुनवाई को नियामक मामलों तक सीमित रखना चाह रहे हैं. गठबंधन इस से सहमत नहीं है. हमारा यह मानना है कि जीएम तकनीक के विज्ञान एवं तकनीकी, विशेष तौर पर खरपतवारनाशी सहनशील फसलों के सन्दर्भ में, सम्बंधित उपलब्ध शोध तथ्यों का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है. यह भी आवश्यक है कि तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीइसी) की सभी खरपतवारनाशी सहनशील फसलों पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफ़ारिश को लागू किया जाना चाहिए. इस के बावज़ूद हम नियामक प्रक्रियाओं की खामियों को रेखांकित करेंगे तािक भारत सरकार का सफ़ेद झूठ सामने आ सके...



यहाँ हम आप को जीएम सरसों के मूल्यांकन एवं अनुमित सम्बन्धी विधिसम्मत प्रक्रियाओं के भारत सरकार द्वारा गंभीर उल्लंघन के <u>मात्र 10 उदाहरण</u> देंगे.

हम यहाँ पर जानबूझ कर जीएम सरसों के उत्पादन या इस की सुरक्षा जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज़ कर के केवल नियामक प्रक्रियाओं के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं

1. औपचारिक अनुमति से पहले ही काम निपटा दिया...

भारत सरकार ने अदालत को जुलाई 2017 में यह आश्वासन दिया था कि ऐसी स्थिति नहीं आयेगी कि अदालत के निर्णय/अनुमित के बिना कार्य का निष्पादन हो जाए. नवम्बर 2017 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि कोई भी निर्णय अदालत को सूचित किया जाए. उच्चतम न्यायालय में दिये गए आश्वासन एवं उस के निर्देशों का पालन नहीं हुआ है.

18 अक्तूबर 2022 को जीइएसी ने सिफ़ारिश की. बोने वाले संस्थान डीआरएमआर के पास बीज 22 अक्तूबर को ही पहुँच गया जब कि औपचारिक अनुमति 25 अक्तूबर 2022 को ही दी गई थी!

That I respectfully submit the following facts for kind consideration of this Hon'ble Court: That the said prayer petitioner seeking stay in advance, a preventive even before the decision is taken by the Competent Authority, is wholly misconceived. It is reiterated that even if the decision is taken, there will not be any situation of creating fait accompli and this Hon'ble Court, if effective interim orders after the decision is taken.
 That the Union of India has already filed a detailed reply

भारत सरकार का 28 जुलाई 2017 का शपथ पत्र - <u>SC cases -</u> Google Drive

उच्चतम न्यायालय में सुनवाई से पहले ही जीएम सरसों बो दी गई

GM mustard sown in 6 field trial plots days before SC took up plea against it


Besides for field trials, 600 grams of seeds were already sown in two demonstration plots, Directorate of Rapeseed-Mustard Research (DRMR) P K Rai said



PTI, Bharatpur, NOV 14 2022, 14:57 IST | UPDATED: NOV 14 2022, 14:57 IST

Speaking to *PTI*, Directorate of Rapeseed-Mustard Research (DRMR) P K Rai said: "We received the seeds on October 22 and a case was listed in the top court on November 3. The seeds were already planted in between this period in field trial plots for evaluating the yields."

स्रोतः <u>https://www.deccanherald.com/national/gm-mustard-sown-in-6-field-trial-plots-days-before-sc-took-up-plea-against-it-1162227.html</u>



25 अक्तूबर 2022 का अनुमति पत्र: <u>DMH 11 scanned materials - Google Drive</u>

2. मूल्यांकन में किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने भाग नहीं लिया परन्तुं जीएम सरसों को स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से हरी झंडी

bees and other pollinators. The composition of this Expert Committee constituted is as below:

a. Dr. Sanjay Kumar Mishra, Chairman

- b. Dr. Ashok Kumar Singh, Member (Expertise in Molecular Genetics and Breeding)
- c. Dr. D. K. Yadav, Member (Expertise in Plant Breeding and Seed)
- d. Dr. A. H. Prakash, Member (Expertise in Plant Physiology)
- e. Dr K. Annapurna, Member (Expertise in Microbiology)
- f. Dr. S. J. Rahman, Member (Expertise in Entomology)
- g. Dr. Nitin K. Jain, Secretary of RCGM)



48

- h. Dr. K. C. Bansal, Member (Expertise in Plant Biotechnology, Functional Genomics)
- i. Dr. Abhilasha Singh Mathuriya, Member Secretary.

First and second meetings of this Sub-Committee were convened on 23.09.2022 and 30.09.2022, respectively. The recommendations of the Sub-Committee constituted

उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का 9 नवम्बर 2022 को पेश अतिरिक्त शपथ पत्र पृष्ठ 47-48. 2022 की विशेषज्ञ समिति जिस ने जीएम सरसों को हरी झंडी दी उस में कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं

https://drive.google.com/file/d/1DI_5b78inEXh S4NKNM6Xzv1efDfNd05K/view?usp=share_link

to 489).

Accordingly, on 04.01.02016 GEAC in its 126th meeting held on 04.01.2016 constituted a sub-Committee under the Chairmanship of Dr. K. Veluthambi, Co-Chair of the GEAC with the following Members for examination of the dossier:

a. Dr. K. Veluthambi Karranan Biotechnologist

(RETA KITANN)
Satisfies "B"/Scientist
tulistic, Set jet sooning ville
kind Servinsent French and Cit
exercise survivors, and
Groun, of India, Name

38

- b. Dr. S R Rao, Adviser, DBT, Member (Agriculture expert)
- c. Dr. S.K. Apte Member (Molecular Biology Expert)
- d. Dr. Ramesh V Sonti Member (Plant Genetics Expert)
- e. Dr. B. Seslkeran, Member (Nutritional pathologist and Food Safety Expert)
- Dr. C R Babu Member (Environmental Science Expert)
- g. Dr. K V Prabhu, Joint Director (Research), IARI Member (Plant Breeding Expert)
- h. Member Secretary, GEAC To facilitate the Sub-Committee

True copy of MoM dated 04.01.02016 is attached

उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का 9 नवम्बर 2022 को पेश अतिरिक्त शपथ पत्र पृष्ठ 37-38. 2016 की विशेषज्ञ समिति में ड़ा बी सेसिकेरान नामित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं.

https://drive.google.com/file/d/1DI_5b78inEXhS4NKNM6Xzv1 efDfNd05K/view?usp=share link

न्यू यॉर्क टाइम्स के निम्न आलेख से पता चलता है कि ड़ा बी सेसिकेरान उद्योग से जुड़े हैं:

https://www.nytimes.com/2019/09/16/health/ilsi-food-policy-india-brazil-china.html . राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने जीएम सरसों पर कुछ अध्ययन किये थे और इस संस्थान के मुखिया ड़ा बी सेसिकेरान के थे.

बड़ी बात यह है कि वे जीइएसी की जीएम सरसों की उपसमिति की तीनों बैठकों में शामिल नहीं हुए. इस के बावज़ूद की कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ बैठक में शामिल नहीं था, जीइएसी ने जीएम सरसों को स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से भी हरी झंडी दे दी. (अगले पृष्ठ पर सूचना के अधिकार कानून के तहत पाई जानकारी देखें)

A Shadowy Industry Group Shapes Food Policy Around the World



A supermarket in Mumbai. In India and in other countries, an organization funded by food and beverage companies quietly fights restrictions on sugary or processed foods.

By Andrew Jacol

Sept. 16, 2019


When the Indian government bowed to powerful food companies last year and postponed its decision to put red warning labels on unhealthy packaged food, officials also sought to placate critics of the delay by creating an expert panel to review the proposed labeling system, which would have gone far beyond what other countries have done in the battle to combat soaring obesity rates.

But the man chosen to head the three-person committee, Dr. Boindala Sesikeran, a veteran nutritionist and former adviser to Nestle, only further enraged health advocates.

That's because Dr. Sesikeran is a trustee of the International Life Sciences Institute, an American nonprofit with an innoculus sounding name that has been quietly infiltrating government health and nutrition bodies around the world.

Created four decades ago by a top Coca-Cola executive, the institute now has branches in 17 countries. It is almost entirely funded by Goliaths of the agribusiness, food and pharmaceutical industries.

(**हालाँकि उद्योग से जुड़े हुए थे परन्तु**) ड़ा बी सेसिकेरान जो कि एकमात्र नामित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे 2016 की जीइएसी की उपसमिति की किसी बैठक में शामिल नहीं हुए.



Minutes of the $1^{\rm st}$ Meeting of the Sub-Committee meeting of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) held on 02.02.2016

The Sub-Committee meeting of the GEAC was held on 2nd February, 2016 in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) at Narmada Conference Hall, Jal Wing from 11:00 am under the Chairmanship of Dr. K. Veluthambi (co-chair of the GEAC). The list of participants is annexed at Annexure- I. Leave of absence was granted to Dr. B. Sesikeran as requested by him.

- 2. At the outset the Chairman welcomed all members of the Sub-committee and indicated that the GEAC in its 126^{th} meeting held on 4^{th} January, 2016 had constituted the sub-committee to consider the response received from the applicant to all issues raised in the GEAC meeting and additional sought by the members. He also informed that the mandate given to the Sub-committee also includes review of the Biosafety Dossier for its adequacy and accuracy in all respect and indicate gaps, if any.
- 3. The Vice-Chairperson of the meeting Dr. Ranjini Warrier (Advisor) welcomed the members of the Sub-Committee on behalf of the Ministry and introduced Ms. Madhumita Biswas, Director as the Member Secretary of the GEAC. She further informed that clarifications on issues raised by the Members in the last GEAC meeting have been received from the applicant and the same has been circulated to all the Members.
- 4. Dr. S. R Rao Advisor, DBT informed that the Biosafety Dossier has been examined in detail by the Biosafety support unit set up in DBT and points for further clarifications and dossier revision have been prepared for consideration and discussion in the Subcommittee meeting. A copy of the issues raised by DBT is annexed as **Annexure II.**
- 5. After a brief introduction of all members, discussion on the agenda item was initiated by the Chair.
- 6. Discussion on the application for environmental release of transgenic mustard hybrid DMH-11 and parental lines containing events bn 3.6 and modbs 2.99 developed using barnase, barstar and bar genes by the Centre for Genetic Manipulation of Crop

Minutes of the 2ndSub-Committee meeting of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) held on 11.04.2016

The Sub-Committee meeting of the GEAC was held on 11th April, 2016 in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change(MoEF&CC) at Narmada Conference Hall, Jal Wing from 11:00 am under the Chairmanship of Dr.K.Veluthambi (co-chair of the GEAC).The list of participants is annexed at Annexure- I. Leave of absence was granted to Dr. B. Sesikeran as requested by him.

- 2. At the outset the Chairman welcomed all members of the Sub-Committee and Dr.RanjiniWarrier (Advisor) welcomed the members of the Sub-Committee nehalf of the Ministry and informed the Sub-Committee members about the Central Information Commission (CIC) judgement regarding making data on GM Mustard Public by April 30, 2016.Dr. S. R. Rao briefed the Sub-Committee members on the follow up actions taken by Biosafety Support Unit (BSU)pursuant to the 128thGEAC meeting held on 04.03.2016regarding the application for environmental release of transgenic mustard (*Brassica juncea*) hybrid DMH-11 by the Department of Genetics, Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants (CGMCP), University of Delhi (South Campus).
- 3. Discussion on the Sub-Committee report on the application for environmental release of transgenic mustard (*Brassica juncea*) hybrid DMH-11 by the Department of Genetics, Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants (CGMCP), University of Delhi (South Campus)

The GEAC in its 128th meeting held on 4th March, 2016 had sought further information/clarifications from CGMCP and accordingly a revised document was submitted by the Applicant. It was informed that pursuant to receiving the revised dossier from the Applicant, the revised biosafetydossier and draft RARM reportof the Sub-Committee was circulated among the Sub-Committee members. Commentsof the expertsweretabulatedalong with the remarks of the BSU and circulated in the 2nd Sub-Committee meeting. After a brief discussion, the following points were raised by the members of the Sub-Committee:

Record Notes of the Third Meeting of the Sub-Committee constituted by Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) for assessment of food and environmental safety of GE mustard

Date: November 01, 2016

Time: 11.00 AM


Venue: Narmada Conference Hall, Ground Floor, Jal Block, Indira ParyavaranBhawan,


Jorbagh, New Delhi-110003

- 1.0 The third meeting of the Sub-Committee constituted by Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) for assessment of food and environmental safety of GE Mustard was held on 1st November, 2016 under the Chairmanship of Prof. K. Veluthambi, former professor, Madhurai Kamaraj University and Co-chair, GEAC. The following members participated:
 - 1) Dr. K. Veluthambi, Co-Chair, GEAC / Chairman, Sub-Committee
 - 2) Dr. C.R. Babu, Emeritus Professor, Delhi University, Delhi
 - 3) Dr. S.K. Apte, Emeritus Professor, HBNI, BARC, Mumbai
 - 4) Dr. K.V. Prabhu, Joint Director (Research), IARI (ICAR), New Delhi
 - 5) Dr. Ramesh Sonti, Chief Scientist, CSIR-CCMB, Hyderabad
 - 6) Dr. S.R. Rao , Advisor, DBT, MoS&T, New Delhi
 - Ms. Madhumita Biswas, Director, Member Secretary, GEAC / Sub-Committee, MoEF&CC, New Delhi
 - 8) Dr. P. Saranya, Scientist-C, MoEF&CC, New Delhi
- 2.0 Chairman welcomed all the members for the meeting and requested Ms.Madhumita Biswas, Director and Member Secretary, GEAC to provide the genesis and objective of the third meeting. Member Secretary informed that as per recommendation of GEAC the document on the Assessment of Food and Environmental Safety (AFES) for "Environmental Release of Genetically Engineered Mustard (Brassica juncea) Hybrid DMH-11 and use of Parental Events (Varuna bn 3.6 and EH-2 modbs 2.99) for

मंत्रालय का कविता कुरुगनटी को सूचना का अधिकार कानून के तहत को 8/6/2017 दिया जवाब: DMH 11 scanned materials - Google

3. हितों की टकराहट – डॉ अक्षय प्रधान जीएम सरसों विकसित करने वाली सीजीएमसीपी के सदस्य, डॉ स्वपन दत्ता जीएम चावल बनाने वाले एवं ड़ा बी सेसिकेरान इस उद्योग से जुड़े, जीइएसी में-हितों की टकराहट एक आवेदन में नहीं अपितु निहित स्वार्थों द्वारा नियामक व्यवस्था बनाने में भूमिका





<u> 2014 में **जीइएसी का पुनर्गठन** (after **2013**)</u>


- जीएम सरसों जब व्यवसायिककरण के करीब थी तब विकसित करने वाली टीम के सदस्य डॉ अक्षय प्रधान को सदस्य बनाया जता है..
- डॉ स्वपन दत्ता जीएम चावल बनाने वाले (उन की पत्नी भी जीएम चावल बनाने वाली) को भी सदस्य बनाया..
- ड़ा बी सेसिकेरान जो उद्योग संगठन आईएलएसआई के ट्स्टी हैं भी शामिल.


इस के बावज़ूद भारत के अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान जीइएसी की बैठक की करवाई से जो पढ़ा वह रोचक है (अगले पृष्ठ पर)

1/12/22 को भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने अदालत को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि जीइएसी हितों की टकराहट से भली भांति निपट सकती है..

(indiagminfo org)

121^{वीं} बैठक की करवाई जो अटॉर्नी जनरल ने पढ़ी: करवाई का पूरा और सच्चा विवरण:






indiagminfo.org/wp-content/uploads/2015/08/MINUTES-121ST-MEETINGminutes-1.pdf

बैठक की करवाई के 17 पृष्ठ जो बिंदु क्रमांक 4.4.8 पर ख़त्म हो जाती है जिस के अनुसार डा प्रधान बैठक में शामिल नहीं थे. <u>2014-</u> geac-121.pdf (geacindia.gov.in) 29 पृष्ठों की बैठक की करवाई जो सूचना अधिकार कानून के तहत प्राप्त हुई. यहाँ करवाई बिंदु 4.4.12. पर ख़त्म होती है. इस के अनुसार बाद में डा प्रधान स्पष्टीकरण देने के लिए बैठक में शामिल होते हैं! वैसे भी हितों की टकराहट अपने आवेदन पर चर्चा में भागेदारी से बड़ी बात है. MINUTES-121ST-MEETING minutes-1.pdf

4. हितों की टकराहट- GM बीज विकसित करने वाला ही मूल्यांकन प्रक्रिया के मापदंड तय करता है एवं अधिकांश जांच करता है



terest-110007/Doini-110

जांच किसने की? अदालत ने जानना चाहा कि क्या सुरक्षा जांच उद्योग स्वयं ही करता है? जवाब था हाँ.

the farmer-preference and processors'

preference in this matter and why

जीएम सरसों के मामले में भी अधिकांश जांच बीज विकसित करने वालों ने ही की है. कम से कम निम्न 7 जांच (1) खरपतवार की संभावना (2) संकरण अध्ययन (3) पराग प्रवाह अध्ययन (4) परागण व्यवहार (5) कीटों, रोगों और लाभकारी जीवों पर प्रभाव का अध्ययन, (6) प्रोटीन के अभिव्यक्ति स्तर और (7) आणविक चित्रण बीज विकसित करने वालों ने ही किये हैं. हालाँकि आवेदक के अनुसार कृषिशास्त्रीय परिक्षण भारतीय कृषि शोध परिषद के संस्थान डीआरएमआर द्वारा समन्वित किया जाने थे, परन्तु सूचना के अधिकार कानून के तहत नीचे दी गई सूचना के अनुसार इस संस्थान ने इस से इनकार किया और कहा कि आवेदक ने स्वयं ये अध्ययन किये थे. DRMR in an RTI response इस का अर्थ हुआ कि 8 तरह की जांच आवेदक ने स्वयं की थी. केवल 5 अन्य अध्ययन संस्थानों द्वारा किये गए प्रतीत होते हैं एवं इन में भी कोई स्वतंत्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं था! (एलर्जी मूल्यांकन, भीषण मुख सम्बन्धी विषाक्तता, अर्ध-चिरकालिक विषाक्तता, संरचना विश्लेषण एवं मृदा के सूक्ष्म वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन). (Safety-assessment-report-on-GE-Mustard 0.pdf (moef.gov.in))

		preference in this matter and why.	
	D THE ROLE AND AUTHORITY OF THE DRMR IN TESTING TRANSGENIC MUSTARD		
	i	Please clarify whether the DRMR has been/is responsible for the entire protocol of testing transgenic Mustard DMH 11 and is a decision-making authority in this matter.	No, DRMR is not a decision making body. Testing protocol was given by DUSC. DRMR is not the decision body as is being regulated. However, the trial location of AICRP was used for evaluation. DRMR has not conducted any trial and the data received by DU/NDDB staff was passed to DRMR for onward transmission to DUSC/GEAC. Hence, no raw data of each location replication wise is not available with DRMR
		4	
ी			
			expect 2014-15.
ī	II	The claim of DrPental is that hybrids made with DMH 11 Barnase-Barstar will provide improved yields of 25-30% more that non-GMO hybrids/varieties of rapeseed-Mustard. Based on your analyses, is this true? Does	It does not hold true while comparing the average performance of varieties/ hybrids in different trials under AICRP- R&M and FLD's Annexure-IV
•		DMH 11 perform better than non-GM mustard hybrids/Varieties? If not, why was DMH 11 allowed to progress to BRL II or pre-commercial field trials where the risk of	

नियामक से अनुमति की प्रक्रिया तय करने वाली बीसीआईएल के विशेषज्ञों की समिति

MINUTES OF THE FIRST MEETING OF THE EXPERT COMMITTEE TO ADVISE ON ROADMAP OF REGULATORY APPROVAL OF TRANSGENIC B. JUNCEA CONTAINING BARNASE/BARSTAR GENES DEVELOPED BY UDSC.

The first meeting of the Expert Committee to advise on the studies that need to be conducted for regulatory approval of transgenic B. juncea containing three transgenes namely, bar, barnase and barstar developed by the University of Delhi South Campus (UDSC) was held under the chairmanship of Dr. Anupam Varma, Retired National Professor, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and former Vice President, INSA on June 21, 2010 at the India International Centre, New Delhi. List of the participants is placed at Annexure-1.

At the outset, Dr. Anupam Varma welcomed the members of the Expert Committee. Stressing on the need for development of high yielding hybrids of mustard to increase productivity, he appreciated the initiative taken by UDSC for preparing a structured action plan for seeking regulatory approvals for mustard hybrid DMH-11. He requested Prof. Deepak Pental, Vice Chancellor, University of Delhi to give his introductory remarks and asked the members of the committee to share their views on the proposed action plan.

Annexure-List of participants 1. Dr. Anupam Varma, Retired National Professor, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and Former Vice President, INSA Prof. Deepak Pental, Director, Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants and Vice Chancellor, University of Delhi Dr. Swapan K. Datta, Deputy Director General (Crop Science), Indian 4. Dr. Raj Kumar, Professor & Head, Respiratory Allergy & Applied Immunology, Dept. of Respiratory Medicine, VP Chest Institute and Head, Dept. Pulmonary Medicine Faculty of Medical Sciences, University Dr. K.V. Prabhu, Head, Division of Genetics, Indian Agricultural Research Dr. J.S. Chauhan, Director, Directorate Research of Rapeseed-Mustard, Dr. B. Dinesh Kumar, Assistant Director, National Institute of Nutrition Dr. R.K. Gupta, Deputy General Manager, Mother Dairy Fruits and Vegetables Private Limited, New Delhi Dr. A.K. Pradhan, Professor (Plant Genetics and Molecular Breeding 10. Dr. Y.S. Sodhi, Principal Scientist, Mother Dairy Fruits and Vegetables Private Limited, New Delhi 11. Dr. Vibha Gupta, Principal Scientist, Mother Dairy Fruits and Vegetables Private Limited, New Delhi 12. Dr. O.P. Govila, Retired Professor of Genetics, IARI, New Delhi 13. Dr. Vibha Ahuja, General Manager, Biotech Consortium India Limited.

https://drive.google.com/file/d/1Ake_UISiLtWpvqtq n0m2y0IItPGyilp5/view?usp=share_link

MINUTES OF THE SECOND MEETING OF THE EXPERT COMMITTEE ON TRANSGENIC BRASSICA JUNCEA HELD ON DECEMBER 9, 2010

The second meeting of the Expert Committee to review the progress of the project on "Data generation for biosafety assessment of transgenic *Brassica juncea*" developed by the Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants (CGMCP), University of Delhi South Campus (UDSC) was held on December 9, 2010 at India International Centre, New Delhi. The meeting was chaired by Dr. Anupam Varma, Retired National Professor, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and former Vice President, INSA. The list of the participants is placed as Annexure-1.


Dr. Anupam Varma, Chairman, Expert Committee welcomed the members of the Expert Committee and informed that the objective of the second meeting is to review the developments with respect to initiation of various studies and facilitate their smooth execution as per the roadmap discussed in the first meeting of the Expert Committee. Prof. Deepak Pental, Director, CGMCP provided an update on the progress of the project. He informed that the project on biosafety assessment has been sanctioned under the BIPP Scheme of the

Annexure

List of Participant

- Dr. Anupam Varma, Retired National Professor, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and Former Vice President, INSA
- Prof. Deepak Pental, Director, Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants, University of Delhi Control Communic
- Dr. Swapan K. Datta, Deputy Director General (Crop Science), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi
- 4. Dr. K.V. Prabhu, Head, Division of Genetics, Indian Agricultural Research Institute (IARI), New
- 5. Dr. J.S. Chauhan, Director, Directorate Research of Rapeseed-Mustard, Bharatpur
- Dr. B. Sesikeran, Director, National Institute of Nutrition (NIN), Hyderabad
- Dr. R.K. Gupta, Deputy General Manager, Mother Dairy Fruits and Vegetables Private Limited, Motiva
- Dr. A.K. Pradhan, Professor (Plant Genetics and Molecular Breeding), University of Delhi South
 Concust New Delhi
- 9 Mr. Mahesh Gupta, Mother Dairy Fruit and Vegetable Private Limited, Noida
- Dr. Vibha Gupta, Principal Scientist, Mother Dairy Fruit and Vegetable Private Limited, Noida
- 11. Dr. O.P. Govila, Retired Professor of Genetics, IARI, New Delhi
- 12. Dr. Vibha Ahuja, General Manager, Biotech Consortium India Limited, New Delhi
- 13. Ms. Pragati Mehra, Project Executive, Biotech Consortium India Limited, New Delhi

https://drive.google.com/file/d/1 Yem636r1QPcs417GTD9_azpgAK NVGedv/view?usp=share_link नियामक से अनुमित की प्रक्रिया तय करने वाली बीसीआईएल के विशेषज्ञों की समिति में तीनों शामिल थे- बीज के आवेदक, जांच करने वाले एवं नियामक. इन में शामिल थे डा केवी प्रभु, जो 2016 में उपसमिति में लाये गए, डॉ स्वपन दत्ता, डा बी सेसिकेरान एवं डॉ अक्षय प्रधान. इन्होंने जांच की प्रक्रिया/नियम बनाए, कुछ ने जांच भी की और फिर उन जांच के परिणामों पर निर्णय भी लिए. 5. जीएम खरपतवारनाशी सहनशील (एचटी) सरसों की एचटी फसल के तौर पर पड़ताल ही नहीं हुई- भारत में एचटी फसलों की जांच की कोई नियामक प्रक्रिया ही तय नहीं है



यहाँ वर्णित दिशा-निर्देश एवं प्रक्रियाओं में एचटी फसलों सम्बन्धी कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं- जारी किये गए दिशानिर्देशों में केवल दो जगह थोड़ा सा ज़िक्र है GEAC (geacindia.gov.in)

हालाँकि एचटी फसलों के लिए कोई नियामक दिशा निर्देश या प्रक्रियाएं तय नहीं हैं

भी जीइएसी ने खरपतवारनाशी के जैव प्रभाव, एचटी फसल की ज़मीन में अवशेष समीक्षा, बर्च हुए अवशेषों का अगली फसल पर प्रभाव, नियंत्रित प्रयोग वाले हिस्से सम्बन्धी हैं (117वीं बैठक). प्रोटीन अभिव्यक्ति के आंकड़े हर बार के बाद एकत्रित किये जाने थे (119वीं मात्रा. सीआईबीआरसी क आकलन इत्यादि सम्बन्धी आंकडे एकत्रित

Ref. GEAC's 117th, 119th, 120th, 121st and 122nd meetings

6. संकर जीएम सरसों के माता-पिता स्वयं भी जीएम बीज परन्तु उन की तो वह सीमित पड़ताल भी नहीं हुई जो डीएमएच-11 की हुई.

F. No. C-12013/35/2010-CSIII Government of India Ministry of Environment, Forests and Climate Change CS-III (Biosafety) Division

6th Floor, Jal Block Indira Paryavaran Bhawan Ali Ganj, Jor Bagh Road New Delhi-110 003 Date: 25th October, 2022

Prof. Deepak Pental
Former Professor of Genetics and Vice-Chancellor, University of Delhi
M/s Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants (CGMCP),
University of Delhi, South Campus,
Benito Juarez Marg, New Delhi – 110 021

Sub: Application for environmental release of transgenic mustard hybrid DMH -11 and parental lines bn 3.6 and modbs 2.99 containing barnase, barstar and bar genes. -reg.

Sir,


The undersigned is directed to refer to your Letter dated 10.05.2022 on the above subject and inform that based on the comments received from Department of Biotechnology (DBT) vide D.O. No. BT/GE-Mustard/01/2022 dated 01.08.2022, comments received from Department of Agricultural Research and Education (DARE) vide D.O. No. CS.5/2/2020-Seed (e168868)/256 dated 30.07.2022, recommendations of the Expert Committee constituted in 146th meeting of Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC); the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) in its 147th meeting held on 18.10.2022, has recommended the following:

- I. The environmental release of genetically engineered mustard parental lines bn 3.6 carrying *barnase* and *bar* genes, and modbs 2.99 containing *barstar* and *bar* genes, so that these events can be used for developing new parental lines and hybrids under supervision of ICAR.
- II. The environmental release of mustard hybrid DMH-11 for undertaking its seed production and testing as per existing ICAR guidelines and other extant rules/regulations prior to commercial release.

- माता-पिता भी स्वयं अलग जीएम बीज हैं. ये अपने आप अलग तरीके से तैयार किये गए हैं. ये दोनों एक दूसरे से एवं जीएम सरसों डीएमएच-11 से भिन्न हैं. परन्तु इन दोनों माता-पिता, जिन को जीइएसी ने 25 अक्तूबर 2022 को अनुमति दी थी, की वह सीमित जांच भी नहीं हुई है जो डीएमएच-11 की हुई है...
 - पराग प्रवाह अध्ययन नहीं.
 - खरपतवार संभावना एवं उस की आक्रामकता इत्यादि का अध्ययन नहीं
- अगस्त 2016 में माता-पिता बाबत उठाये सवालों पर कोई करवाई नहीं की गई: IndiaGMInfo - Coalition writes to GEAC on parental lines of GM mustard hybrid
- यह इस तथ्य के बावज़ूद है कि ये माता-िपता बीज भी खुले पर्यावरण भी बोये जायेंगे तािक इन से अगले मौसम/अगली पीढ़ी में डीएमएच-11तैयार किया जा सके. इन में से एक बीज में पुरुष निपुन्सकता के गुण हैं और इस गुण का फ़ैलाव खतरनाक है.
- बीज उत्पादन के समय जब ग्लुफोसीनेट के प्रयोग को स्वयं भारत सरकार एवं अटॉर्नी जनरल स्वीकार कर चुके हैं, एचटी फसल जांच नहीं हुई-क्यों?


7a. जीएम सरसों परीक्षण में भारत में पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन दिशानिर्देश से संबंधित सीमित वैधानिक नियामक दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया था

पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन दिशानिर्देश 2016 (Page 15, 9.6):



GM सरसों के परीक्षण में उन दिशानिर्देशों की अवहेलना की गई। उदाहरण के तौर पर: पराग प्रवाह का अध्ययन केवल एक ही स्थान पर किया गया क्रॉसबिलिटी अध्ययन केवल एक ही स्थान पर किया गया पराग मॉर्फ़ोलोजी अध्ययन केवल एक ही स्थान पर किया गया वीडीनेस अध्ययन केवल एक स्थान और एक मौसम में ही किया गया

Ref: Safety-assessment-report-on-GE-Mustard 0.pdf (moef.gov.in)



GuidelinesfortheERAofGEplants.pdf (geacindia.gov.in)

7b. जीएम सरसों खाद्य सुरक्षा परीक्षण के मामले में सीमित वैधानिक नियामक दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया है।

ICMR guidelines of 2008 for Food Safety Assessment Page 15, 7.3 of Microsoft Word -Coverpage.doc (geacindia.gov.in)

COMPOSITIONAL ANALYSES OF KEY COMPONENTS

Analyses of concentrations of key components of the GE plant and, especially those typical of the food, need to be compared with an equivalent analysis of a conventional counterpart grown and harvested under the same conditions:

- 1. Key nutrients or key anti-nutrients of those components in a particular food that may have a substantial impact in the overall diet.
- 2. Major constituents (fats, proteins, carbohydrates as nutrients or enzyme inhibitors as anti-nutrients)
- 3. Minor compounds (minerals, vitamins).
- 4. Key toxicants or toxicologically significant compounds known to be inherently present in the plant, whose toxic potency and level may be significant to health (e.g. solanine in potatoes if the level is increased, selenium in wheat) and allergens.
- 5. A comparison with the GE plant grown under its expected agronomic conditions may need to be considered (e.g. application of an herbicide) in some cases. The statistical significance of any observed differences should be assessed in the context of the range of natural variations for that parameter to determine its

biological significance. The comparator(s) used in this assessment need to be ideally the near isogenic parental line. In practice, this may not be feasible at all times, in which case a line as close as possible should be chosen.

दिशानिर्देश क्या कहते हैं:

- 5. कुछ मामलों में अपनी सस्यवैज्ञानिक परिस्थितयों में उगाए गए GM पौधे के साथ तुलना पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है (उदाहरण के लिए, पतवारनाशी का उपयोग)।
 7. परीक्षण स्थल: (a) जिन पर्यावरणीय परिवेश में उन पौधों को उगाया जाना है परीक्षण स्थल की जगह को
- उसका प्रतिनिधि होना चाहिए।
- (b) संरचनागत विशेषताओं के सटीक मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण स्थलों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। प्रजाति की पर्याप्त पीढ़ियों का परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में उसके जोखिम का सही आकलन किया जा सके।
- (c) प्रत्येक परीक्षण स्थल को बारबार दुहराना चाहिए ताकि पर्यावरणीय प्रभावों और किसी एक फ़सल प्रभेद की प्राकृतिक प्रभावों को कम किया जा सके।
- (d) पौधों की पर्याप्त संख्या की सैम्प्लिंग और विश्लेषण के तरीकों को पर्याप्त रूप से संवेदनशील और प्रमुख तत्वों में भिन्नता का पता लगाने के लिए सक्षम होना चाहिए।

GM सरसों के मामले में वास्तविक Compositional Analyses इस तरह हुआ:

चूँकि GM सरसों का परीक्षण खर-पतवारनाशी फ़सल की तरह किया ही नहीं गया इसलिए इसके परीक्षण में खर पतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया गया।

केवल एक ज़ोन (III) और दो स्थानों से ही सैम्पल लिए गए क्योंकि सम्भवतः राजस्थान सरकार द्वारा श्रीगंगानगर वाले ट्राइयल का विनाश कर दिया गया था।

NIN द्वारा अध्ययन किया ही नहीं गया जैसा कि दावा किया जा रहा है। यह अध्ययन एक निजी कम्पनी के द्वारा

अध्ययन पीढियों की पर्याप्त पीढियों पर नहीं किया गया

रिपोर्ट के परिणाम वाले खंड (संख्या. 7, पेज 124/360 और 125/360) में यह दिखता है कि विभिन्न पैमानों पर विविध माणकों में पर्याप्त अंतर हैं (जैसे पत्तियों या बीज में खनिज लवण, विटामिन, सेकंडेरी मटैबलायट्स, अमीनो एसिड आदि)। जबकि परिणाम के खंड (8) में कहा गया है कि: "कृषि-जलवायु के कारण हुए महत्वपूर्ण बदलावों के बावजूद मैक्रो और माइक्रो नूट्रीयंट के compositional analyses में काफी हद तक समकक्षता है!! इसका मतलब है कि बुनियादी दिशा निर्देशों की भी अवहेलना की गयी है। इन निष्कर्षों के बावजूद कोई दूसरा अध्ययन किया जाना ज़रूरी नहीं समझा गया।

7c. गलत तुलनित्रों के साथ सस्य वैज्ञानिक परीक्षण किए गए

उपयुक्त राष्ट्रीय और स्थानीय जांचों का उपयोग करके एक भी बीआरएल परीक्षण नहीं किया गया है!

बीआरएल। द्वितीय वर्ष के परीक्षणों के लिए अनुमित पत्र, दिनांक 17/10/2011 (डी) परीक्षण प्रोटोकॉल के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दोहराए गए परीक्षण को आरबीडी के साथ तीन प्रतियों में दोहराया जाएगा, और "उपयुक्त राष्ट्रीय और स्थानीय जांच और स्पेसिंग शामिल होना चाहिए..."

बीआरएल ॥ परीक्षणों के लिए अनुमित पत्र, दिनांक 28/10/2014 बिंदु 7.0 परीक्षण प्रोटोकॉल के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि दोहराया गया परीक्षण आरबीडी के साथ आयोजित किया जाएगा, और कहता है कि "उपयुक्त राष्ट्रीय और स्थानीय प्रभेद (Checks) और अंतराल शामिल किया जाना है ..."

https://drive.google.com/drive/folders/1GS8c0zixYPlzAzX tc-sOCfOEzaHC_cVC?usp=share_link are being conducted.

7.0 Trial Protocol: The replicated Biosafety Research Level II Trial (BRL-II) shall be conducted with randomized block design (RBD) as per the prescribed trial specifications.

Appropriate national and local checks and spacing are to be included for comparison of the efficacy of the transgenic mustard hybrid and parental lines in term of productivity, germination, weediness, aggressiveness and other parameters with non-transgenic counterparts.

8.0 Trial size and reproductive Isolation

DMH 11 के परीक्षण में इस्तेमाल किए गए राष्ट्रीय और स्थानीय प्रभेद वरुणा और माया/RL-1359 हैं।

जबिक 2008 से AICRP-RM द्वारा अनुशंसित प्रभेद निम्नलिखित थे: ज़ोन ॥ और ज़ोन ॥ में 2010-11, 2011-12 और 2014-15 में राष्ट्रीय Check क्रांति

ज़ोन II: 2010-11 और 2011-12 के ज़ोनल चेक के लिए NRCDR-2, और 2014-15 में ज़ोनल चेक के लिए RH-0749


ज़ोन III: सभी 3 वर्षों में ज़ोनल चेक के लिए RGN-73

हाइब्रिड चेक के तौर पर तीनों वर्षों में ज़ोन ॥ के लिए DMH-1 और NRCHB-506, और तीनों वर्षों में ज़ोन ॥। के लिए DMH-1 का इस्तेमाल होना चाहिए था। DMH-11 की तुलना किसी भी हाइब्रिड सरसों के साथ नहीं की गई!

8. GEAC ने कई परीक्षण करने को कहा और बाद में उन्हें रद्द कर दिया


जीईएसी जीएम सरसों पर किए जाने वाले परीक्षण निर्धारित करता रहा, लेकिन जब आवेदक ने छूट की मांग की, छूट के अनुरोधों को स्वीकार करता रहा और अपनी खुद की सिफारिशों को बार-बार बदला - क्या यह सुदृढ़ और त्रुटिमुक्त प्रक्रिया है??

- a. पशुओं के चारे के अध्ययन को मंजूरी दी गई, लेकिन नहीं किया गया, हालाँकि एजी श्री वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में जीईएसी की एक बैठक के मिनटों में बकरियों और खरगोशों पर अध्ययन के बारे में पढ़कर बताया भी।
- 21/09/2011 को हुई GEAC की 112वीं बैठक _ में बताया गया कि BRL-I परीक्षणों के लिए 5.14.3.vi समेत विभिन्न प्रकार के अध्ययनों की ज़रूरत है जैसे "चारे के अध्ययन (Feeding Studies) के लिए सामग्री जमा करना" (ब्रोईलेर मुर्गों पर चारे के अध्ययन के लिए GM सरसों के बीज और बकरी और ख़रगोश के चारे के अध्ययन के लिए GM सरसों के पत्ते और तने). GEAC ने दूसरे वर्ष के BRL-I परीक्षणों को इसी आधार पर स्वीकृति दे दी।
- हालांकि, लगभग तीन साल बाद 18/07/2014 को जीईएसी की 121वीं बैठक में पशुधन आहार अध्ययन करने से छूट मांगी गई है। कार्यवृत्त चर्चा के निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित रिकॉर्ड करते हैं: "4.5.3 इस मामले पर एक संक्षिप्त चर्चा के बाद, सिमित ने अनुरोध किया कि अगली बैठक में मामले पर विचार करने के लिए आरसीजीएम द्वारा अग्रेषित नोट को जीईएसी के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाए। . तदनुसार, उपरोक्त वर्णित दो प्रस्तावों पर निर्णय स्थगित कर दिया गया था।
- जीईएसी द्वारा दी गई छूट के बारे में कोई निर्णय दर्ज नहीं किया गया। तो, इन अध्ययनों का क्या हुआ?
- इसके बाद, अगली GEAC बैठक जिसमें GM सरसों पर चर्चा हुई, 125वीं बैठक है जहाँ environmental release की अनुमति पर विचार किया गया है!



8. GEAC ने कई परीक्षण करने को कहा और बाद में उन्हें रद्द कर दिया (जारी)

- b. <u>मृदा माइक्रोफ्लोरा अध्ययन को छोड़ दिया गया:</u>
- a. 21/3/2018 को जीईएसी की 134वीं बैठक में, आवेदक को मृदा माइक्रोबियल विविधता पर अतिरिक्त आँकड़े उत्पन्न करने के लिए "क्षेत्र प्रदर्शन अध्ययन" करने के लिए कहा गया।
- b. 25/07/2018 को जीईएसी की 135वीं बैठक में, एक निश्चित अध्ययन निर्धारित किए जाने के लगभग 4 महीने बाद, सीजीएमसीपी ने मृदा माइक्रोफ्लोरा अध्ययन करने से छूट का अनुरोध यह कह कर किया कि ये अध्ययन बीआरएल-। और BRL-II परीक्षण के संचालन के दौरान पहले ही पूरे हो चुके थे। GEAC ने इस छूट के लिए भी सहमित दे दी।



 Applicant may be advised to undertake field demonstration on GM Mustard in an area of 5 acres at 2-3 different locations with a view to generate additional data on honey bees and other pollinators and honey, and on soil microbial diversity.

Action: GEAC Secretariat



4.1 Application for Environmental release of Transgenic Mustard Hybrid DMH-11 and Parental lines containing events *bn 3.6 and modbs 2.99* developed using barnase, barstar and bar genes by M/s. Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants (CGMCP), University of Delhi.

The application related to transgenic Mustard along with the protocols and response received from Delhi University was deliberated by the members in the 135th meeting. The members agreed to the request of applicant for exemption to conduct soil microflora studies, as these studies were already completed during the conduct of BRL-I & BRL-II trials.

Further, the members noted that the applicant proposes to undertake studies on Honeybees at two locations namely, Punjab Agriculture University, Ludhiana and Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. Noting that the applicant proposes to undertake two field demonstration studies at Delhi to assess hybrid seed efficiency and also for maintenance of male sterile *barnase* line *bn* 3.6, the committee deliberated on the issue of requirement of No Objection Certificate (NOC) from the State Governments for conduct of these field demonstration studies. It was agreed that the State Governments of Delhi and Punjab may be requested to exempt the requirement of NOC for these field demonstrations studies, as these are continuation of BRL-I & BRL-II trials for which the State Governments has already given NOC earlier to the applicant. Further, the members also noted that the total area for conduct of these demonstration studies including non GM plantation would be in an area of 5 acres.

8. GEAC ने कई परीक्षण करने को कहा और बाद में उन्हें रद्द कर दिया(जारी)

c. मधुमक्खियों और अन्य परागणकों और शहद पर "क्षेत्र प्रदर्शन अध्ययन" नहीं किया गया:


- a) 21/3/2018 को हुई 134वीं बैठक में, GEAC ने मधुमिक्खियों और अन्य परागणकों और शहद पर अतिरिक्त आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को "क्षेत्र प्रदर्शन अध्ययन" करने की सलाह देने का निर्णय लिया।
- b) 25/7/2018 को हुई 135वीं बैठक में 2 स्थानों में अध्ययन के संदर्भ में अधिक विवरण की पुष्टि की गई है।
- c) 20/9/2018 को हुई 136वीं बैठक में जीईएसी द्वारा प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई।
- d) दिनांक 20/3/2019 को हुई 137वीं बैठक एवं 11/11/2019 को 138वीं बैठक में अध्ययन स्थगन पर चर्चा की गई।
- e) 139वीं, 140वीं, 141वीं, 142वीं, 143वीं 144वीं और 145वीं जीईएसी की बैठकों में जीएम सरसों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई।
- f) 25/8/2022 को हुई 146वीं बैठक में GEAC मधुमिक्खियों और अन्य परागणकों पर ट्रांसजेनिक सरसों के प्रभाव के बारे में पर्याप्त साक्ष्य की उपलब्धता के संबंध में CGCMP के दावे पर विचार-विमर्श करता है। जीईएसी द्वारा इस दावे की जांच करने के लिए, और जीएम सरसों (हाइब्रिड) और इसकी वंशाविलयों के पर्यावरणीय विमोचन के लिए एक विशेषज्ञ सिमित का गठन किया गया
- g) 18/10/2022 को हुई GEAC की 147वीं बैठक में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, जिसका अर्थ था इन "क्षेत्र प्रदर्शन अध्ययनों" से छूट दिया जाना। और सीधे-सीधे "पर्यावरण रिलीज" के लिए स्वीकृति दे दी गई।

9. जीएम सरसों के मामले में बीटी बैंगन के सीमित परीक्षण भी नहीं किए गए

स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन		
चूहों में तीव्र मौखिक विषाक्तता परीक्षण (2003)	स्विस अल्बिनो चूहों में तीव्र मौखिक विषाक्तता (वर्ष की जानकारी अनुपलब्ध)	
मादा चूहों में श्लेष्म झिल्ली उत्तेजना परीक्षण (2004)	नहीं किया गया	
ख़रगोश की त्वचा पर उत्तेजना की प्राथमिक जाँच 2004	नहीं किया गया	
स्प्रेग डावले चूहों में सब-क्रॉनिक ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी (2005)	स्प्रेग डावले चूहों में सब-क्रॉनिक ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी	
ब्राउन नॉर्वे रैट्स का उपयोग कर प्रोटीन निकालने की एलर्जी का आकलन (2005)	नहीं हुआ; तीन प्रोटीनों का केवल एक जैव सूचना विज्ञान विश्लेषण और पेप्सिन डाइजेस्टिबिलिटी परख किया गया	
पके फलों में खाना पकाने और प्रोटीन का अनुमान (2005)	थर्मल स्थिरता की जाँच हुई	
कॉमन कार्प पर फीडिंग अध्ययन (2005)	नहीं हुआ	
न्यूज़ीलैंड रैबिट का उपयोग करते हुए सब-क्रॉनिक फीडिंग अध्ययन (2006)	नहीं हुआ	
ब्रायलर मुर्गियों की बढ़त और स्वास्थ्य पर प्रभाव (2006)	नहीं हुआ	
Sub-chronic feeding studies in goats (2006)	नहीं हुआ	
स्तनपान कराने वाली क्रॉसब्रेड डेयरी गायों में फ़ीडिंग अध्ययन (2006)	नहीं हुआ	
अल्कलॉइड सामग्री के आकलन सहित विस्तृत संरचनागत विश्लेषण (2008-09)	ग्लूकोसाइनोलेट्स अनुमान सहित बीआरएल-I प्रथम वर्ष के परीक्षण संयंत्रों से बीजों और पत्तियों का संरचनागत विश्लेषण	
नोट: बीटी बैंगन के मामले में विशेषज्ञ समिति 1 द्वारा निर्धारित और जीईएसी निर्णयों के माध्यम से किए गए कई अध्ययन वास्तव में नहीं लिए गए थे!	इस खाद्य फसल के महत्व को देखते हुए, बदले हुए दिशा-निर्देशों के साथ नियामक प्रक्रियाओं में सुधार किया जा रहा है, यह औचित्य तर्कहीन है, कि यह एक एचटी जीएम फसल है, जहां गैर-जीएम संकर पहले से मौजूद हैं)	

बीटी बैंगन जैव सुरक्षा डोजियर की सहकर्मी समीक्षा ने परीक्षण, विश्लेषण और निष्कर्ष में स्पष्ट अपर्याप्तता दिखाई थी जबकि, जीएम सरसों को इस तरह की किसी सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया से नहीं गुज़ारा गया। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि एचटी फसल के रूप में GM सरसों का कोई परीक्षण नहीं किया गया।

10. कृषि राज्य का विषय है - जीएम सरसों की मंजूरी में इस पर ध्यान नहीं दिया गया




- भारत के संविधान के अनुसार कृषि राज्य का विषय है।
- भारत के अधिकांश राज्य पहले ही जीएम सरसों के खिलाफ बोल चुके हैं - इनमें बिहार, केरल, तिमलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य जीएम सरसों का विरोध करते रहे हैं।
- राजस्थान ने तो एहितयाती क़दम उठाते हुए एक फील्ड ट्रायल प्लॉट को नष्ट कर दिया था।
- दरअसल जिडिएसी ने अपनी 116वीं बैठक में राज्य सरकारों के इस रुख और राजस्थान की कार्रवाई का संज्ञान लिया था. (''6.1.2. हालांकि, उपरोक्त के बावजूद, समिति ने यह भी दोहराया कि कृषि एक राज्य का विषय है और जीएम फसल क्षेत्र परीक्षणों की अनुमति देने या न देने पर राज्य सरकार के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए।")
- इसके बावजूद GM सरसों पर राज्य सरकारों की नीति और राय की अनदेखी करते हुए जीएम सरसों को मंजूरी दे दी गई। बीटी बैंगन के मामले की तरह इस बार कोई परामर्श नहीं किया गया। राज्य सरकार के फैसलों का कोई सम्मान नहीं किया गया।

जीईएसी को वास्तव में उप-सिमितियों और विशेषज्ञ सिमितियों के गठन का अधिकार नहीं है ...

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के 'खतरनाक सूक्ष्म जीवों / आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग / आयात / निर्यात और भंडारण के लिए नियम, 1989' जीईएसी (GEAC) को किसी भी उप-सिमिति और विशेषज्ञ सिमिति स्थापित करने की अनुमित नहीं देते हैं। (जबिक आरसीजीएम (RCGM) को इसकी अनुमित है)

जीईएसी को एक व्यापक आधार वाली, अंतर-मंत्रालयी, बहु-अनुशासनात्मक संस्था के रूप में देखा गया है - न कि एक ऐसी संस्था जो छोटी इकाइयों के रूप में काम करती है (वह भी बाहरी सदस्यों के हस्तक्षेप से)। बीटी बैंगन के मामले में भी ऐसा किया गया था। जीएम एचटी मस्टर्ड को भी इस तरह से मंजूरी दी गई है जिसमें व्यापक तौर पर जीईएसी ने अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया है!



जीएम सरसों के मामले में अन्य प्रोटोकॉल/नियमों का भी उल्लंघन किया गया!

- •परीक्षण के फ़सलों की संख्या, प्रत्येक क्षेत्र में परीक्षण के स्थानों की संख्या के संदर्भ में एआईसीआरपी-आरएम प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया।
- •परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभेदों के मामले में एआईसीआरपी-आरएम प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया
- •ग्लूफ़ोसिनेट अमोनियम के पंजीकृत उपयोग के संदर्भ में कीटनाशक अधिनियम 1968 के नियमों का उल्लंघन किया गया
- •बठिंडा में 2014-15 के परीक्षण में ईपीए 1989 के नियमों के दिशा-निर्देशों और सीमित क्षेत्र परीक्षणों के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया गठबंधन ने फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ जीईएसी को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। (Ref: IndiaGMInfo Coalition letter urging GEAC to take action on serious biosafety violations)

इसलिए, भारत सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह कह कर स्पष्ट रूप से ग़लतबयानी कर रही है कि:

- "ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड DMH-11 और पैरेंटल लाइन bn3.6 और modbs2.99 जिसमें बार्नेज़, बारस्टार और बार जीन शामिल हैं, के पर्यावरणीय रिलीज़ को दिए गए सशर्त अनुमोदनका निर्णय सभी कानून में विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया गया है और कई वर्षों से संचित जैव सुरक्षा डेटा पर विचार करने के बाद किया गया है।"
- "सशर्त अनुमोदन उन दिशानिर्देशों और ढांचे के अनुरूप किया गया है जो जी एम पौधों के पर्यावरणीय रिलीज के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए एक सुसंगत और कठोर जोखिम विश्लेषण दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है।"
- "पर्यावरणीय रिलीज की अनुमति देने से पहले क्रॉस पोलिनेशन सहित पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिमों से जीई सरसों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है।"

पहले की स्लाइडों में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ये दावे असत्य हैं। हमारी विस्तृत रिपोर्ट में उल्लंघन के कई अन्य उदाहरण शामिल हैं: Regulatory-Violations-GM-mustard-Final-Report-January-2023.pdf (indiagminfo.org)

एहतियाती सिद्धांत (अनुच्छेद 1) के अलावा बायोसेफ्टी के अनुच्छेद 26 (सामाजिक-आर्थिक के लिहाज़ से) और 28 (दायित्व और निवारण) पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया है।

- जीएम एचटी मस्टर्ड का अनुमोदन वास्तव में भारत के सीमित जैव सुरक्षा विनियमों की पूर्ण विफलता को प्रदर्शित करता है और नियामक व्यवस्था में गंभीर किमयों को भी प्रदर्शित करता है
- जीएम सरसों की मंजूरी में सार्वजिनक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा से गंभीर समझौते किए गए हैं
- कृषि पर राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकार की अवहेलना और उल्लंघन -जिस तरह से बीटी बैंगन के मामले में राज्यों से परामर्श किया गया था इस बार वह भी नहीं किया गया
- जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के बावजूद जी एम सरसों के पर्यावरणीय रिलीज़ के मामले में भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का भी उल्लंघन किया है

भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की तकनीकी विशेषज्ञ सिमति की भारत में एचटी फसलों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की उपेक्षा की है, साथ ही उन फसलों में ट्रांसजेनिक्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की अवहेलना की है जिनकी उत्पत्ति/विविधता का केंद्र भारत है।